# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 05/2025 (आवन्टन निरस्तीकरण)
जीसीएमएस नं0–2025/90

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।
––प्रार्थी.

*बनाम*

श्री भैरूलाल पुत्र कन्हीराम जाति राव ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपरा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

*प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना विकय) नियम 1957 नियम 22(2)*

उपस्थिति
1. पेरोकार सरकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

## *निर्णय*

दिनांक – 06/01/2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी श्री भैरूलाल पुत्र कन्हीराम जाति राव ग्राम मोतीपुरा को ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा में आराजी खसरा नं0 167 रकबा 0.38 हे0 भूमि दिनांक 9.6.1989 को आवंटित हुई थी । वर्तमान में आवंटी राजस्व रिकार्ड में बहैसियत गैर खातेदार दर्ज है । आवंटी को भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के पश्चात नियमानुसार काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है आवंटी आज दिनांक तक ख0नं0 167 पर कब्जा काश्त करने में विफल रहा है एवं आवंटी द्वज्ञारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया गया है । मौके पर सलीम पुत्र मेहमूद जाति मुसलमान निवासी मोतीपुरा का कब्जा काश्त है । आवंटी अप्रार्थी ने राजस्थ्ज्ञान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना .....विकय) नियम 1957 के नियम 22(क) भूमि आवंटन सम्बन्धी शर्त का उल्लंघन किया है । अतः उक्त आवंटित खसरा नम्बर 167 रकबा 0.38 हे0 आवंटन दिनांक 9.6.1989 निरस्त फरमाया जावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित । अप्रार्थी ने अपना कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि आवंटी को आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के पश्चात नियमानुसार काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवंटी का आवटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । आवंटी आज दिनांक तक उक्त खसरा नं0 167 पर कब्जा काश्त करने में विफल रहा है एवं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया गया है । मौके पर सलीम पुत्र मेमूद जाति मुसलमान निवासी मोतीपुरा का कब्जा काश्त है । आवंटी अप्रार्थी ने राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना विकय) नियम 1957 के नियम 22(क) भूमि आवंटन सम्बन्धी शर्त का उल्लंघन किया है । अतः उक्त आवंटित खसरा नं0 167 रकबा 0.38 हे0 पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटी श्री भैरूलाल द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघ किया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं0 167 दिनांक 0.38 हे0 ग्राम मोतीपुरा का आवंटन दिनांक 9.6.1989 निरस्त फरमाया जावें ।

4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 0.38 हे0 वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में दिनांक 9.6.1989 को आवंटित हुई थी । इस कृषि आराजीयात में रेस्पो0 द्वारा आवंटन तिथि से लगभग 4–5 वर्ष पूर्व तक स्वयं द्वारा काश्तकारी की गई है परन्तु उसके समक्ष प्राकृतिक प्रकोप, अकाल की आपदाओं के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया एवं उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु परेशानी उत्पन्न हो जाने पर लगभग 4–5 वर्ष पूर्व प्रार्थी के गांव के ही निवासी महमूद खां पुत्र रमजान खां ने इन परिस्थतियों में प्रार्थी को आर्थिक मदद करते हुए उक्त जमीन को एक वर्ष की अवधि हेतु मुनाफा काश्त पर जो लिया था एवं इस संबंध में उसने रूपयें के लेन देन हेतु दस्तावेज भी तैयार करवाकर प्रार्थी के अंगूठा निशानी करवाये थे, तभी से महमूद खां द्वारा उक्त आराजी को अवैध रूप से अपने कब्जे में रख रखा है । प्रार्थी के बारम्बार प्रयासों के बावजूद भी वह इस जमीन पर अपना कब्जा नहीं छोड रहा है और ताकत के बल पर प्रार्थी को काश्त नहीं करने दे रहा है । प्रार्थी मेहमूद खां के भय से अपनी उक्त आवंटित जमीन पर काश्तकारी करने नहीं जा पा रहा है । अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को आवंटत भूमि खसरा नं0 167 रकबा 0.38 हे0 वाके ग्राम मोतीपुरा तह0 लाडपुरा का आवंटन निरस्त नहीं करें बल्कि अतिक्रमी मेहमूद खां पुत्र रमजान निवासी मोतीपुरा को इस जमीन से बेदखल करते हुये प्रार्थी को कब्जा दिलवाये ताकि प्रार्थी पूर्ववत इस आराजी में काश्तकारी कर सकें अथवा मेरे द्वारा जमा कराई गई भूमि की कीमत की राशि वापस दिलाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी श्री भैरूलाल पुत्र कन्हीराम जाति राव ग्राम मोतीपुरा को ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा में आराजी खसरा नं0 167 रकबा 0.38 हे0 भूमि दिनांक 9.6.1989 को आवंटित हुई थी, जो अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है । वर्तमान में उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति मेहमूद खां पुत्र रमजान निवासी मोतीपुरा द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है । पेरोकार सरकार का तर्क है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा काश्त की जाने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से आवंटन निरस्त योग्य है । आवंटी को यह आवंटन कीमतन आवंटन हुआ है तथा आवंटी अप्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा की जाना बताया है । तथा उनको आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति मेहमूद खां को बेदखल कर कब्जा दिलाने का निवेदन किया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा संभलाने व खातेदारी दी जाने व भूमि की कीमत राशि व ब्याज में छूट दी जाने की इश्तदुआ की गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 13.5.2002 अनुसार आवंटित भूमि खसरा नं0 167 रकबा 0.31 हे0 भूमि पर अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाया गया है । । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य पडोसी खातेदारी मेहमूद खां का कब्जा है तथा यदि कब्जा नहीं होने की स्थिति में खातेदारी नहीं दी जा सकती है तो आवंटी अप्रार्थी से आवंटित भूमि की कीमत राशि व ब्याज राशि जमा कराने के लिए पत्रांक/टी.आर.ए/04/1628 दिनांक 8.3.2004 रू0 13300/– एवं ब्याज के 26413/– जमा राजकोष करवाये जाने के लिए लिखा गया था तथा इसके बाद भी नोटिस दिनांक 3.6.2005, 1.5.2006, प्रेषित करते हुए आवंटी अप्रार्थी को आदेशित किया कि उक्त बकाया राशि जमा नहीं करायी गयी तो आवंटन / नियमन निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । साथ ही पत्रांक/ टीआरए/ 04/ 114–15 दिनांक 27.5.2004 से जिला कलक्टर कोटा को पत्र लिखा जाकर यह मार्गदर्शन चाहा है कि "श्री भैरूलाल आत्मज कन्हीराम को ग्राम मोतीपुरा में खसरा नम्बर 167 की 0.38 हे0 भूमि र्ष 9.6.89 में आवंटित हुई जिसकी मूल राशि 3000/– जमा करवाई गयी है, आवंटी की तरफ ब्याज की राशि 12 प्रतिशत की दर से रू0 27000/– बकाया चल रहे है । प्रार्थी द्वारा ब्याज की राशि कम करने बाबत प्रार्थना पत्र लगाया गया है, प्रार्थी एक गैर खातेदार है तथा उक्त भूमि में खातेदारी चाहता है । अतः ब्याज राशि बाबत उचित दिशा निर्देश जारी करें ।" इस पर जिला कार्यालय से क्या निर्देश प्राप्त हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है ।

6. यहां यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आवंटन की कीमत की बकाया राशि व ब्याज की राशि जमा कराने का अप्रार्थी से तकाजा करने पर आवंटी प्रार्थी द्वारा चालान जीआरएन 57389719 दिनांक 6.1.2022 से 5,500/– बैंक में दिनांक 11 जनवरी 2022 को मद–0075–00–105–03–00 एवं चालान जीआरएन 57391105 से 25320/– दिनांक 11 जनवरी 2022 को राजकोष मद 0049 –04 – 800 –08 – 03 –राजस्व की बकाया पर ब्याज अप्रार्थी आवंटी की ओर से राजकोष में जमा कराया गया है । आवंटी अप्रार्थी द्वारा खातेदारी मिलने की आशा पर बकाया राशि जमा कराई जा चुकी है किन्तु तहसीलदार लाडपुरा को यह भली भांति ज्ञात था की उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तो जानकारी होते हुए बकाया राशि अप्रार्थी से क्यों जमा करवाई । अप्रार्थी का आवंटन दिनांक 9.6.89 का है, सम्पूर्ण राशि जमा हो जाने उपरान्त आवंटी अप्रार्थी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है किन्तु फिर भी आप द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना ...विक्रय) नियम 1957 के नियम 22(क) में प्रकरण इस न्यायालय को इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त करने में विफल रहा है एवं आवंटन शर्तो का उल्लंघन है तथा मौके पर सलीम पुत्र मेहमूद का कब्जा काश्त है । राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल कमाण्ड) नियम 1957 का अवलोकन से यह जाहिर आया है कि धारा नियम 22 में प्रावधान है कि **"यदि किसी समय यह मालूम हो कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का आवंटन, आवंटी द्वारा पेश किये गये आवेदन में या शपथ–पत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में तथ्यों के गलत विवरण पर हुआ है तो आवंटन प्राधिकारी ऐसे आवंटन को रद्द करने का आदेश दे सकेगा और किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि में पुनः प्रवेश करने तथा उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा ।" नियम 22 में केवल गलत तथ्यों के आधार पर किये गये आवंटन को रद्द करने का प्रावधान दिया गया है । तहसीलदार लाडपुरा ने प्रस्तुत प्रकरण में गलत विवरण एवं तथ्यों के आधार पर आवंटन होने का कोई विवरण अंकित नहीं किया है ।** तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नियम 22क में आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्तुत प्रस्तुत किया है जबकि नियम 22क राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 का है जो चम्बल कमाण्ड नियम 1957 का नहीं है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की कीमत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा बार बार नोटिस देने ओर बकाया राशि जमा कराने का तकाजा करने पर आवंटी अप्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में आवंटी अप्रार्थी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है । यदि आवंटन निरस्त योग्य था तो तहसीलदार लाडपुरा को बकाया राशि जमा नहीं कराकर यथासमय आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करना चाहिए था किन्तु अब आवंटन दिनांक 9.6.1989 के बाद दिनांक 23.6.2025 को लगभग 36 वर्ष बाद आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत करना अनुचित है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रकरण पुनः तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस निर्णय के बिन्दु सं0 5 लगायत 7 में किये गये विवेचनों का परीक्षण करते हुए न्यायहित में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 06 .01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर
कोटा
जिला कलक्टर
कोटा